न्यायालय उपखण्ड ... [illegible]

तारीख ...

मिसल नं. ..............................

बनाम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | [illegible] |
|---|---|---|
| | पेश हुए वकील वादी [illegible]। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आ० मि० [illegible] डिक्री पारित की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया [illegible] [illegible] किया गया। मुताबिक निर्णय [illegible] तैयार हो। पत्रावली दिनांक 25/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDOK | |
| 25/5/18 | पत्रावली बैंच कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। मुताबिक निर्णय डिक्री तैयार हुई है जिस पर कोई आपत्ति वकील वादी ने पेश नहीं की। मुताबिक हुक्म निर्णय दावा वादी डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल हुक्म होकर [illegible] [illegible]। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] हो। (हस्ताक्षर) SDOK | |

# ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/557/15

बउनवान

1. रामकरण पुत्र अरजण्टी जाति मीना ( मृतक )

1/1. शांति पत्नी रामकरण जाति मीना

1/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/3. जयसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/4. रामा पुत्री रामकरण जाति मीना

निवासीयान ग्राम रेला तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादीगण

बनाम

1. गीता पत्नी बडडनसिह जाति मीना निवासी रेला
2. कलावती पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी रेला
3. पप्पी पत्नी मुंशी जाति मीना निवासी रेला

   तहसील कठूमर जिला अलवर

4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर ( लैण्ड होल्डर )

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट':- अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 01.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 632 रकवा 0.28 हे. 435 रकवा 0.27 हे. किता 2 रकवा 0.55 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी में वादी का 37/55 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ला03 का है। उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी में अपने 37/55 हिस्सा की आराजी का अलग से तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण वादी के उक्त आराजी में शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है विना तकसीम कराये रहन वय करना चाहते है। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व हुक्मइन्तनताई दवामी से पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतो । डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 01.05.2018 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी जयसिंह पी डब्ल्यू 1 के वयान लेखवद्व कराये है। वादी ने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है लेकिन प्रतिवादीगण विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा कराने को तैयार नहीं है। अतः विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहस सुनी। विवादित आराजी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम कठूमर प्रदर्श 1 में वादी के 37/55 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है शेष हिस्सा। प्रतिवादीगण की खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से उक्त आराजी अवट व शामलात खातेदारी की होना सावित है। पी डब्ल्यू 1 गवाह जयसिंह ने अपने वयानों में उक्त आराजी शामलात खातेदारी की होना व शामलात में काश्त करना कथन किया है। प्रतिवादीगण ने वावजूद तामील हाजिर अदालत होकर कोई उज्र व एतराज पेश नहीं किये है। अतः वाद वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

# आदेश

अतः दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बर 632 रकवा 0.28 हे. 435 रकवा 0.27 हे. किता 2 रकवा 0.55 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर प्रारिम्भक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो मौके पर पहुॅच कर दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में उक्त आराजी का नियमानुसार कानूनी तकासमा ( विभाजन प्रस्ताव ) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें ताकि वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किया जा सके।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 0105.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

# ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/557/15

बउनवान

1. रामकरण पुत्र अरजण्टी जाति मीना ( मृतक )

1/1. शांति पत्नी रामकरण जाति मीना

1/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/3. जयसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/4. रामा पुत्री रामकरण जाति मीना

निवासीयान ग्राम रेला तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादीगण

वनाम

1. गीता पत्नी बडडनसिह जाति मीना निवासी रेला
2. कलावती पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी रेला
3. पप्पी पत्नी मुंशी जाति मीना निवासी रेला

तहसील कठूमर जिला अलवर

4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर ( लैण्ड होल्डर )

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट :- अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 25.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 0.28 हे. 435 रकबा 0.27 हे. किता 2 रकबा 0.55 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी में वादी का 37/55 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ला03 का है। उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी में अपने 37/55 हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी का अलग से तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 01.05.2018 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन कर व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादी दिनांक 01.05.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने दिनांक 24.05.2018 को अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति प्रस्तुंत नहीं की है। अतः वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्वर 632 मिन तर्फ पश्चिम बा0प्र0 रकवा 0.17 हे0 शांति पत्नी स्व0 रामकरण, लक्ष्मणसिंह, जयसिंह पि0 रामकरण, रामा पुत्री रामकरण स0 भा जाति मीना निवासी रेला को व खसरा नम्वर 632 मिन तर्फ पूर्व बा.प्र. रकवा 0.11 635 रकवा 0.27 हे. बा0प्र0 किता 2 रकवा 0.38 हे. वाके ग्राम रेला गीता पत्नी बडडनसिंह हिस्सा 11/38 कलावती पत्नी जगदीश हिस्सा 11/38, पप्पी पत्नी मुंशी हिस्सा 16/38 कौम मीना को तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के वटे नम्वरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्वर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 25.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

Scanned by CamScanner

# पर्चा डिकी

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/557/15

बउनवान

1. रामकरण पुत्र अरजण्टी जाति मीना ( मृतक )

1/1. शांति पत्नी रामकरण जाति मीना

1/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/3. जयसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/4. रामा पुत्री रामकरण जाति मीना

निवासीयान ग्राम रेला तहसील कठूमर जिला अलवर

--- डिकीदार

बनाम

1. गीता पत्नी वडडनसिह जाति मीना निवासी रेला

2. कलावती पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी रेला

3. पप्पी पत्नी मुंशी जाति मीना निवासी रेला

तहसील कठूमर जिला अलवर

4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर ( लैण्ड होल्डर )

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 632 मिन तर्फ पश्चिम वा0प्र0 रकवा 0.17 हे0 शांति पत्नी स्व0 रामकरण, लक्ष्मणसिंह, जयसिंह पि0 रामकरण, रामा पुत्री रामकरण रा0 भा जाति मीना निवासी रेला को व खसरा नम्बर 632 मिन तर्फ पूर्व वा.प्र. रकवा 0.11 635 रकवा 0.27 हे. वा0प्र0 किता 2 रकवा 0.38 हे. वाके ग्राम

Scanned by CamScanner

रेला गीता पत्नी बडडनसिंह हिस्सा 11/38 कलावती पत्नी जगदीश हिस्सा 11/38, पप्पी पत्नी मुंशी हिस्सा 16/38 कौम मीना को तकसीम में दिये जाते है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 25.05.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner